तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 28/2023 हरजीराम वगैरह बनाम विमा का.गु. तेजाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

आदेश

दिनांक 26.05.2025

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री केसाराम चौधरी
2. उत्तरदातागण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद पेश किया गया। मूल वाद दिनांक 14.02.2020 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। मूल वाद को पुनः बरामद करने हेतु प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत पेश किया गया। विलम्ब माफी हेतु अलग से धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2022 को एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए उक्त आवेदन खारिज किया गया। अपीलांटगण अपने वाद को गुणावगुण पर निस्तारण करवाना चाहते हैं जिस कारण अपीलांटगण को वाद को पुनः बरामद किया जाना विधि सम्मत है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को बरामद न कर प्रार्थना–पत्र खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः प्रकरण को अंदर मियाद शुमार करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णीत करने हेतु अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मूल वाद अपीलांटगण के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज किया गया। हस्तगत अपील अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए मूल वाद को पुनः बरामद करने हेतु पेश किया गया। अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 को निरस्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास दिनांक 26.05.2025 को सुनाया गया।

26/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर